



कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा

तहसील रोड, जगदल्ला चांपा (छ.ग.) पिन-[495671]

कार्यालयीनई-मेल-dfo-jchampa.cg@gov.in, dfo_jchampa@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 3177
प्रति,

चांपा/दिनांक 22/05/2025

Director,
Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited,
Harti Chowk, Saria Distt-Raigarh (C.G.)

विषय:— Diversion of 0.997 of forest land in favour of Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited, Dumarpara Janjgir-Champa proposal for Contruction of Approach Road at Village ChhitaPandariya, in Janjgir-champa district and Forest Division in the State Chhattisgarh under Forest Conservation Act 1980-reg.

संदर्भ — 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/ROCH-22/2023/1324 दिनांक 23.03.2023 एवं आपका पत्र दिनांक 04.08.2023.
2. इस कार्यालय का प.क./तक.अधि./1951 दिनांक 16.04.2025.

—“—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में दिनांक 23.03.2023 से प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दु क्रमांक 1 से 22 तक बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन हेतु संदर्भ क्र. 2 में जारी डिमांड नोट में आंशिक संशोधन करते हेतु अंतर की राशि के लिए वर्तमान दर पर निम्नानुसार डिमांड नोट जारी किया जाता है —

विवरण	राशि
क्षतिपूर्ति रोपण हेतु प्रभावित रकबा 1.000 हे. से कम के एवज में राशि	625569
पूर्व में जमा की राशि (—)	516999
वर्तमान जमा योग्य अंतर की राशि	108570

उक्त राशि रु. 108570/— (रुपये एक लाख आठ हजार पांच सौ सत्तर) का ई-चालान अ.प्र.मु.व.सं.—भू—प्रबंध, नवा रायपुर से जनरेट कराकर कैम्पा खाते में जमा करावें तथा पावती के साथ प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलंब प्रस्तुत करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सके।

सूचनार्थ प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी

जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल